



कार्यालय उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं,

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला डीडवाना-कुचामन मुख्यालय डीडवाना

Email id:- dddkicds@raiasthan.gov.in

Email id:- ddicdsdk@gmail.com

क्रमांक :- आईसीडीएस/ विज्ञप्ति/2026/

दिनांक :- 18.06.2026

विज्ञप्ति संख्या -03/2026

डीडवाना-कुचामन जिले के अधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। यह विज्ञप्ति निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर के विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023, विभागीय पत्र क्रमांक 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 एवं संशोधित मूल्यांकन प्रपत्र आदेश संख्या 10872467 दिनांक 01.10.2024 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार के अनुसार जारी की जा रही है।

परियोजनावार मानदेय कर्मियों के रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	परियोजना कार्यालय का नाम	आं. बा. कार्यकर्ता का रिक्त पद	सहायिका का रिक्त पद	कुल पद
1	डीडवाना	06	14	20
2	कुचामन	04	07	11
3	लाडनू	-	02	02
4	मकराना	04	04	08
5	नावां	-	03	03
6	परबतसर	02	02	04
	योग	16	32	48

चयन हेतु वांछित पात्रता :-

- ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम/वार्ड/आंगनबाड़ी केन्द्र सर्वे क्षेत्र की स्थानीय निवासी होनी चाहिए एवं विधवा महिला व तलाकशुदा महिला को ससुराल अथवा मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जायेगा।
- आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधित घोषणा आवेदन पत्र में की जाना अनिवार्य है।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका के रिक्त पद हेतु न्यूनतम बारहवीं उत्तीर्ण महिला ही आवेदन कर सकती है।
- विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि को आ.बा.कार्यकर्ता और सहायिका के आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित - प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक की होगी। विभाग में वर्तमान में कार्यरत मानदेय कर्मी (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं शिशु पालना गृह कार्यकर्ता) सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।
- विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया गया है इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आव यक होगा।
- तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर न्यायालय से जारी आदेश /डिक्री की छायाप्रति को आव यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जावे।
- जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के परिवार सर्वे कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति /अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उक्त पद संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी केन्द्र के सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
- रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
- कोर्ट आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी कर्मी के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनों पात्र होगी। किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो स्वतः

RajKaj Ref No.:
22908093



Signed by: OM
PRAKASH, Deputy
Director
Date: 2026-06-18
14:45:02 +05:30



कार्यालय उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं,
महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला डीडवाना—कुचामन मुख्यालय डीडवाना

Email id:- dddkicds@raijasthan.gov.in

Email id:- ddcidsdk@gmail.com

- ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जायेगी। इस आशय का अण्डर टैकिंग (शपथ पत्र) चयन के आवेदन करते समय ही देना होगा। विभाग द्वारा भविष्य में स्थानीय निवासी नहीं रहने पर जांच उपरान्त मानदेय सेवा से हटा दिया जायेगा।
10. आवेदन पत्र संबंधित सीडीपीओ कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट <https://wcd.rajasthan.gov.in> से प्राप्त किये जा सकते हैं।
 11. आवेदन पत्र दो प्रतियों में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः विज्ञप्ति में अंकित अंतिम तिथि तक जमा किये जा सकेंगे। कार्यालय में संबंधित कर्मचारी द्वारा आवेदन प्राप्ति की रसीद (आवेदन पत्र सहित समस्त संलग्न दस्तावेजों के पेज संख्या अंकित करवाते हुए आवेदन पत्र व समस्त दस्तावेजों पर स्वप्रमाणित करवाया जाने के साथ) आवेदनकर्ता को अवश्य देंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों का रिकार्ड रखा जाना आवश्यक होगा।
 12. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात् त्रुटिवश संलग्न किये जाने से वंचित किसी भी प्रकार की कमी-पूर्ती हेतु संलग्न करवाये जाने वाले दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने की अंतिम तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जायेगा।
 13. इस विज्ञप्ति में उल्लेखित आंगनबाड़ी केन्द्रों के मानदेय कार्मिकों के रिक्त पदों पर सीडीपीओ कार्यालयों में आवेदन करने की **अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 सांय 5 बजे तक** है।
 14. राजस्थान राज्य से बाहर अन्य प्रदेश की आरक्षित महिला होने पर उसे आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाकर केवल सामान्य वर्ग में मानी जायेगी।
 15. विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023, विभागीय पत्र क्रमांक 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 एवं संशोधित मूल्यांकन प्रपत्र आदेश संख्या 10872467 दिनांक 01.10.2024 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित है जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
 16. यदि किसी आवेदक के दस्तावेज जांच के दौरान जाली/फर्जी/ कूटरचित पाया जाता है तो ऐसे आवेदक का आवेदन पत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जायेगा तथा ऐसा आवेदक भविष्य में भी मानदेयकर्मी हेतु चयन का पात्र नहीं होगा।
 17. समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार **अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर** के प्रमाण पत्र 3 वर्ष तक मान्य है। परन्तु एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर आवेदनकर्ता द्वारा प्रमाण पत्र के साथ स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से पुराना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 18. समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार **आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS)** के प्रमाण पत्र 3 वर्ष तक मान्य है। परन्तु एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर आवेदनकर्ता द्वारा प्रमाण पत्र के साथ स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से पुराना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 19. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
 20. सभी आवेदक आवेदन पत्र (समस्त संलग्नक दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या अंकित करवाकर) की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।
 21. उपरोक्त विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार का संशोधन/विलोपन/निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

(ओम प्रकाश)
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
डीडवाना—कुचामन

RajKaj Ref No.:
22908093



Signed by: OM
PRAKASH, Deputy
Director
Date: 2026-06-18
14:45:02 +05:30



कार्यालय उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं,
महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला डीडवाना-कुचामन मुख्यालय डीडवाना

Email id:- dddkicds@raiaasthan.gov.in

Email id:- ddicdsdk@gmail.com

क्रमांक :- आईसीडीएस/ विज्ञप्ति/2026/

दिनांक :- 18.06.2026

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय डीडवाना-कुचामन।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर
4. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला डीडवाना-कुचामन।
5. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना-कुचामन।
6. विकास अधिकारी, पंचायति समिति, डीडवाना/कुचामन/लाडनूं/मकराना/नावां/परबतसर एवं समस्त कार्यालय नोटिस बोर्ड
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, डीडवाना/कुचामन/लाडनूं/मकराना/नावां/परबतसर को भेज कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति की एक कॉपी समस्त पंचायत समितियों मुख्यालयों पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त सेक्टर प्रभारी महिला/पुरुष पर्यवेक्षक के माध्यम से रिक्त पदों वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्रों और आंगनबाडी केन्द्रों पर चस्पा करावें।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड/आंगनबाडी संस्थापन शाखा/लेखा शाखा/बिल शाखा/रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग

डीडवाना-कुचामन

RajKaj Ref No.:
22908093



Signed by: OM
PRAKASH, Deputy
Director
Date: 2026-06-18
14:45:02 +05:30



कार्यालय उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं,
महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला डीडवाना-कुचामन मुख्यालय डीडवाना

Email id:- dddkicds@rajasthan.gov.in

Email id:- ddicdsdk@gmail.com

क्रमांक :- आईसीडीएस/ विज्ञप्ति/2026/

दिनांक :- 18.06.2026

विज्ञप्ति संख्या - 03/2026

डीडवाना-कुचामन जिले के अधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। यह विज्ञप्ति निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर के विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023, विभागीय पत्र क्रमांक 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 एवं संशोधित मूल्यांकन प्रपत्र आदेश संख्या 10872467 दिनांक 01.10.2024 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार के अनुसार जारी की जा रही है।

परियोजनावार मानदेय कर्मियों के रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं.	परियोजना कार्यालय का नाम	आं. बा. कार्यकर्ता का रिक्त पद	सहायिका का रिक्त पद	कुल पद	आवेदन की जानकारी हेतु सम्पर्क सूत्र
1	डीडवाना	06	14	20	ICDS.DEEDWANA@RAJASTHAN.GOV.IN
2	कुचामन	04	07	11	cdpokuchaman@gmail.com
3	लाडनूं	-	02	02	ladnuncdpo@gmail.com
4	मकराना	04	04	08	cdpomakranagramin@gmail.com
5	नावां	-	03	03	cdponawacity@gmail.com
6	परबतसर	02	02	04	cdpoparbatsar@gmail.com
	योग	16	32	48	

नोट :-

- इस विज्ञप्ति में उल्लेखित आंगनबाड़ी केन्द्रों के मानदेय कर्मियों के रिक्त पदों पर संबंधित सीडीपीओ कार्यालयों में व्यक्तिशः उपस्थित होकर आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 सांय 5 बजे तक है।
- उपरोक्त मानदेय कर्मियों के आंगनबाड़ी केन्द्रवार रिक्त पदों तथा अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी संबंधित सीडीपीओ कार्यालय से (कार्यालय समय में) एवं विभागीय वेबसाइट <https://wcd.rajasthan.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।
- उपरोक्त विज्ञप्ति में मानदेय कर्मियों के रिक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण वर्गीकरण कर दिया गया है। जिसकी जानकारी संबंधित सीडीपीओ कार्यालय से कार्यालय समय से प्राप्त की जा सकती है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर व आर्थिक पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र 3 वर्ष तक मान्य है। परन्तु एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर आवेदनकर्ता द्वारा प्रमाण पत्र के साथ स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से पुराना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- आवेदक की आयु विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए (आरक्षित श्रेणी के लिए आयु सीमा में छूट नियमानुसार देय होगी)
- पात्र आवेदनकर्ता का संबंधित राजस्व ग्राम (ग्रामीण क्षेत्र में) एवं संबंधित वार्ड/सर्वे क्षेत्र (शहरी क्षेत्र में) का निवासी होना अनिवार्य है।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका के रिक्त पद हेतु न्यूनतम बारहवीं उत्तीर्ण महिला ही आवेदन कर सकती है।

(ओम प्रकाश)
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
डीडवाना-कुचामन

RajKaj Ref No.:
22908093



Signed by: OM
PRAKASH, Deputy
Director
Date: 2026-06-18
14:45:02 +05:30



कार्यालय उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं,
महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला डीडवाना-कुचामन मुख्यालय डीडवाना

Email id:- dddkicds@raiaasthan.gov.in

Email id:- ddicdsdk@gmail.com

क्रमांक :- आईसीडीएस/ विज्ञप्ति/2026/

दिनांक :- 18.06.2026

प्रतिलिपि :- निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. श्रीमान् निदेशक आईसीडीएस राजस्थान, जयपुर के माध्यम से एनलिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक आई.टी.) समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान, जयपुर को भेज कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
02. सम्पादक दैनिक भास्कर डीडवाना-कुचामन को भेज कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को डी.आई.पी.आर. दरो पर डीडवाना-कुचामन जिले के संस्करण में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
डीडवाना-कुचामन

RajKaj Ref No.:
22908093



Signed by: OM
PRAKASH, Deputy
Director
Date: 2026-06-18
14:45:02 +05:30